न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 60/बी–121/2015–16

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/6/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 11.07.2014 को कृषक कैलाश पिता कलमसिंह जाति भीलाला उम्र 28 वर्ष निवासी छोटागुडा तहसील जोबट कुएँ पर विघुत पंप से सिंचाई के दौरान विघुत करंट लगने से मृत्यु हो गई है। मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि श्रीमति गनबाई पति स्व0कैलाश जाति भीलाला निवास छोटागुडा के नाम से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

प्रकरण में कैलाश पिता कलमसिह की मृत्यु 11.07.2014 होने के उपरांत विगत 02 वर्ष पश्चात् राजस्व अमले के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कर आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने से उक्त कृत्य के लिए तत्का. तहसीलदार श्री शैलेन्द्र हनोतिया, तत्का. तहसीलदार जोबट (वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर जिला अलीराजपुर), श्री जितेन्द्र मोरी पटवारी हल्का नम्बर 59 एवं श्री ठाकुरसिंह खराड़ी सचिव ग्राम पंचायत धामन्दा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रकरण में विलंब के कारणों को स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में मृतक के कैलाश पिता कलमसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम छोटा गुडा की मृत्यु विघुत पंप से सिचांई कार्य करने के दौरान विघुत कंरट लगने से हुई है। प्रकरण कि विलंबता में मानवीय दृष्टिकोण एवं पीडित परिवार की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाना उचित है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के अनुशंसा प्रतिवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पी.एम. रिपोर्ट तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर मृतक के निकटतम वारिशान उसकी पत्नि गनबाई पति स्व0कैलाश जाति भीलाला निवास छोटा गुडा तहसील जोबट को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत कण्डिका–2 (1) के तहत् आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाते है तथा म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम–7 एवं संशोधित आदेश कमांक /बोर्ड/योजना /गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो./2171/भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00/–(एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर